

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 जनवरी 2023—माघ 3, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2023 (माघ 3, 1944)

क्र. 1490-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2023.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूं.

भोपाल :
दिनांक 23 जनवरी, 2023.

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.